

प्रभागीय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।
पत्रांक ४२६ /ओबरा/ १५ भू०८० दिनांक- २३-९-२०१९।

रोवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
गीरजापुर क्षेत्र,
गीरजापुर।

विषय:- जपनद सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में में० जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड द्वारा ग्राम-कोटा में जो०पी० सुपर सीमेन्ट प्लान्ट व आवासीय क्षेत्र स्थापना हेतु ११५.८७४हेठा आरक्षित वन भूमि हरतान्तरण की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली का पत्र संख्या ८-०७/२०१९-एफ०सी० दिनांक-२८.०८.२०१९ मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ का पत्र संख्या-२७२/११-सी/FP/UP/IND/2016 दिनांक-०४.०९.२०१९ तथा तथा आपका पत्रांक-सा० १३२५/मी०क्षे०/३३ दिनांक -१७.०९.२०१९।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में मांगी गयी बिन्दुवार सूचना सलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय


(प्रखर मिश्रा)


प्रभागीय वनाधिकारी

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।

संख्या ४२६ अ/समदिनांकित।

प्रतिलिपि-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ को सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।


(प्रखर मिश्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली का पत्र संख्या-एफ०न० ८-०७ / २०१९ –एफ०सी० दिनांक-२८.०८.२०१९ में उल्लिखित विन्दु:-

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली का पत्र संख्या-एफ०न० ८-०७ / २०१९ –एफ०सी० दिनांक-२८.०८.२०१९ में उल्लिखित विन्दु:-

आख्या / सुचना

<p>I.</p> <p>The State Govt. should give details on what action has been taken against unauthorized use of forest land.</p>	<p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> जनपद-सोनभद्र (पूर्व मे निर्जापुर) के परगना-आगरी मे जमीनदारी १ जुलाई १९५३ को हटी और उस सम्बन्ध में निहित हो गई और शैक्षिक परगना-आगरी मे जमीनदारी विनाश अधिनियम की धारा ११७(१) की विज्ञापन नहीं हुई थी, इसलिये राज्य सरकार ने शासनादेश दिनांक १० अक्टूबर १९५३ / १६ नवम्बर १९५३ द्वारा कैमर पर्वत के दक्षिण (जहाँ ग्राम-कोटा, पड़रछ व पनारी पड़ा है) मे स्थित समस्त भूमि को प्रबन्ध के लिये जन विभाग को हस्तान्तरित कर दिया। ज०प्र० सासन द्वारा वर्ष १९७७-७८ मे ग्राम-कोटा, वर्ष १९६९ मे ग्राम-पनारी (ओवरा पनारी) तथा वर्ष १९७० मे ग्राम-पड़रछ मे भारतीय वन अधिनियम १९२७ की धारा-४ की विज्ञापित हुयी। वर्ष १९८२ मे वनवासी सेवा आश्रम के संस्थापक श्री प्रेम भाई ने गा० उच्चतम् न्यायालय मे १०६१ / १९८२ मे एक जनहित याचिका दाखिल किया, जिसमे गा० न्यायालय ने दिनांक २०.११.१९८६ को कैमर पर्वत माला के दक्षिण भूमि क्षेत्रों के भौमिक अधिकार एवं सर्वे सेटिलमेंट करने का आदेश पारित किया। गा० उच्चतम् न्यायालय के निर्देशानुसार हुई सर्वे व रेकार्ड आपरेशन की कार्यालयी मे ग्राम-कोटा, पड़रछ, व पनारी की काफी भूमि सर्वे व रेकार्ड आपरेशन की कार्यालयी मे अपीलीय न्यायालय (अपर जिला जज) द्वारा भूमि के साम्बन्ध मे राज्य सरकार द्वारा जारी भारतीय वन अधिनियम की विज्ञापन को सही भानते हुये, सुरक्षित वन के पक्ष मे निर्णीत भूमि को सुरक्षित वन के खाते मे दर्ज किया। जिसके क्रम मे ग्राम-कोटा व पनारी की भूमि के साम्बन्ध मे भारतीय वन अधिनियम की धारा २० की कार्यालयी चल रही थी। उत्तर प्रदेश राज्य सीमेंट कारपोरेशन डला की फैक्ट्री के लगातार घाटे मे चलने के कारण उसे Sick Industries घोषित कर उसे दिनांक-०८.१२.९९ को Wound Up कर लिकिंडेशन के अधीन कर दिया गया तथा आकिसियल लिकिंडेस्टर नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य सीमेंट कारपोरेशन डला की फैक्ट्री के Wound Up होकर उसकी परिस्थितियों की बिक्री के लिए कम्पनी कोर्ट लिकिंडेशन के माध्यम से निवेदा आमंत्रित की गई।
<p>II.</p>	<p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> ज०प्र० सरकार द्वारा वर्ष १९५४ मे चुक्र व डला सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गयी थी। जनपद-सोनभद्र (जो पूर्व मे निर्जापुर जिले का भाग था) के ओवरा वन प्रभाग के ग्राम-कोटा (डला) मे राज्य सरकार द्वारा सीमेंट फैक्ट्री की खापना की गई थी, जिस वर्ष १९७२ मे उत्तर प्रदेश राज्य सीमेंट कारपोरेशन को हस्तान्तरित कर दिया गया।

• उप्रप्रराजसीमेन्ट कारपोरेशन के परिसमापन के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय में चल रही कार्यवाही के दौरान उत्तर प्रदेश शासन के राज्य औद्योगिक विकास अनुभाग-१, हाई कायालय में प्रस्तुत मे० उत्तर प्रदेश शासन के राज्य औद्योगिक विकास अनुभाग-१, हाई कायालय में प्रस्तुत सं०-३६२३ / ७७-१-२००८-१५ (बी.आई.एफ.आर.) / ९२ दिनांक-१०.१०.२००६ को मा० उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। लिएके प्रतर ९, जो कम्पनी के पक्ष मे० लाइसटोन के पट्टे का नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध मे० था, उसने वन बोत्र मे० पडने वाले लीज के क्षेत्र के सम्बन्ध मे० निम्न तथा अंकित किये गये थे -

“यह उल्लेख-नीय है कि यदि यदि नूमि वन मे० अवस्थित है, उसके केता को नवीनीकरण के सम्बन्ध मे० वन संखाण अधिनियम १९८० के प्राविधिनों तथा समय-समय पर भारत सरकार हाई जारी किये गये दिया निर्देशों एवं मा० उच्चतम् न्यायालय हाई पारित आदेशों के अनुसार प्रस्ताव आने पर साथम स्तरों से अनुमोदन/रत्नीकृति प्राप्त कर वालित शुल्क प्राप्त कर कार्यवाही की जायेगी। यदि भूमि रैक्यउभारी मे० अवस्थित है उसके निर्वानिकी कार्यों के प्रयोग हेतु अनुमति निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उच्चतम् न्यायालय से पूर्वानुमति प्राप्त कर दी जायेगी।

यह भूमि उल्लेख-नीय है कि जो हिस्से वन भूमि मे० पडते हैं कि उनको नवीनीकरण भारत सरकार की पूर्व अनुमति से तथा वालित शुल्क के मुगातान के आदेशों के व्यापार में समावृत है। अतः यथा समय अधिनियम के तहत एवं मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के व्यापार में रखते हुये वन विभाग हाई भी आवश्यक कार्यवाही की जानी होगी। यह उल्लेख भूमि समाचीन है कि राज्य सरकार की ओर से पट्टों के नवीनीकरण के सम्बन्ध मे० कोई भूमि वित्तीय छूट का उल्लेख नहीं है। इस प्रकरण मे० भू-तत्व एवं खनिकर्म विभाग एवं तत्प्रश्नात कुछ प्रकरणों मे० वनविभाग हाई अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

उप्रप्रराज्य सीमेन्ट निगम लि० (परिसमापनाधीन) की इकाईयों के विकाय से सम्बन्धित अनुतोष एवं रियायतें मे० आच्छादित भूमि मे० से जो भूमि वन मे० अवस्थित है उनके केता कर्म के हस्तान्तरण के सम्बन्ध मे० देय राशि के मुगतान के सम्बन्ध मे० वन विभाग हाई दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।”

• उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से प्रस्तुत उपरोक्त कार्यवाही ज्ञापन के आधार पर मा० उच्च न्यायालय कम्पनी कोर्ट ने दिनांक-११-१०-०६ / १२-१०-०६ को जै०पी० ऐशोसिएट्स के पक्ष मे० विकाय की पुष्टि कर दिया। मा० उच्च न्यायालय मे० उत्तर प्रदेश शासन के औद्योगिक विकास अनुभाग-१, हाई प्रस्तुत कार्यवाही ज्ञापन सं-३६२३ / ७७-१-२००८-१५ (बी.आई.एफ.आर.) / ९२ दिनांक-१०.१०.२००६ पर मा० उच्च न्यायालय कम्पनी कोर्ट हाई पारित आदेश दिनांक-११-१०-०६ के परिषेष्य मे० जै०पी० ऐशोसिएट्स को लीज के नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र देना चाहिये था, जिसे नये सिरे से लीज हेतु दिया गया प्रार्थना पत्र मानकर उस पर वन संरक्षण अधिनियम १९८० व मा० उच्चतम् न्यायालय हाई टीएन० गोडावर्ण बनाम भारत सरकार की याचिका मे० पारित निर्णय दिनांक-१२-१२-९६ के अनुसार कार्यवाही की जाती किन्तु जै०पी० ऐशोसिएट्स हाई लीज के नवीनीकरण के सम्बन्ध मे० प्रार्थना पत्र न देकर उप्रप्रराजसीमेन्ट कारपोरेशन की लीज बोत्र के अन्तर्गत आने वाली व मा० उच्चतम् न्यायालय के निर्देशानुसार हई सर्वे की कार्यवाही मे० ग्राम-कोटा, पड़छ व पनारी, मारकुण्डी व माकरीबारी की कुल १०८३.२०३०० सुरक्षित वन के पक्ष मे० निर्णीत भूमि को वन संरक्षण अधिनियम की Applicability को समाप्त करने तथा लीज लेने मे० वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत दी

- जाने वाली आवश्यक देयताओं को बचाने के उद्दरण्य से उरक्षित वन के प्रस्ताव से ऐकान कराने के सम्बन्ध में ५० जै०पी० एसोसिएट्स लि० द्वारा वन बन्दोबस्त अधिकारी सोनभद्र के न्यायालय में ग्राम-कोटा में वाद संख्या १८० / ३५३ / २००७ द्वारा २७.८५४ह०, वाद संख्या १८१ / ३५४ / २००७ द्वारा २१.०५६ह०, वाद संख्या ३८६ / ३८९ / २००७ द्वारा १८.२७२ह०, ग्राम कोटा पड़छ में वाद संख्या ३९५ / ३९७ / २००७ द्वारा २१.९५५ह० व ५१.०६४ह०, ग्राम पनारी में वाद संख्या ३८६ / ३९८ / २००७ द्वारा २५३.१७६ह० तथा ग्राम-मकरीवारी में वाद संख्या ३९९ / ४०१ / २००७ द्वारा २२.१९५ह० व ३९८ / ४०० / २००७ द्वारा २५३.१७६ह० तथा ग्राम-मकरीवारी में वाद संख्या ३९५ / ३९७ / २००७ द्वारा २३.८४५ह० अर्थात कुल १०८३.२०३ह० धोत्र पर वर्ष २००७ में भारतीय वन अधिनियम १९२७ की धारा ९ / ११ के तहत वन भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर दिया गया। कुल १०८३.२०३ह० धोत्र में से अंतरा वन प्रभाग के ग्राम कोटा, आवरा पनारी व पड़रछ में कुल ५९९.१८३ह०, सोनभद्र वन प्रभाग के ग्राम-मरकुण्डी में कुल २३०.८४५ह० तथा केमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर के ग्राम-मरकुण्डी में कुल २५३.१७६ह० धोत्र समिलित है।
- मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-२०.११.१९८६ के कम में उपरोक्त कुल १०८३.२०३ह० धोत्र में सोनभद्र वन प्रभाग के ग्राम-मकरीवारी का २३०.८४५ह० छोड़कर शेष धोत्र के सम्बन्ध में वन बन्दोबस्त अधिकारी सोनभद्र द्वारा पूर्व में (वर्ष १९९३-९४ व वर्ष १९९८-९९) ही वन विभाग के पक्ष में निर्णय पारित किया जा चुका था, जिसकी पुष्टि अपर जिला जज द्वारा की गयी।
- परन्तु जै०पी० एसोसिएट्स लि० की तरफ से जनवरी २००७ में कुल १०८३.२०३ह० धोत्र के सम्बन्ध में पुनः सिरे से मा० एफएसओ० न्यायालय में धारा-९ / ११ के अन्तर्गत प्रस्तुत उपरोक्त वादों में वन बन्दोबस्त अधिकारी, सोनभद्र द्वारा प्रश्नगत धोत्र को धारा ४ की विज्ञाप्ति से पृथक करने का आदेश पारित किया जिसकी पुष्टि जिला जज द्वारा भी कर दिया गया था।
- वन बन्दोबस्त अधिकारी, सोनभद्र द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या १८०/३५३ व १८१/३५४ में परित निर्णय दिनांक-१९.०९.२००७ तथा मा० जिला जज सोनभद्र द्वारा विभिन्न मिसलिनियम अपील संख्या ६१ / २००७ व ६३ / २००७ जै०पी० एसोसिएट्स लि० बनाम वन विभाग में पारित निर्णय दिनांक-०७.०१.२००८ के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उप्र० शासन को प्रस्तुत किया गया।
- उप्र० शासन ह्वारा अपने पत्र संख्या-३७९२ / १४-२-२००८ दिनांक-१२.०९.२००८ से जिला शासकीय अधिवक्ता व न्याय विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के आलोक में मा० उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करने के अनुमति नहीं दी गयी तथा जनपद-सोनभद्र में धारा २० के अन्तर्गत विज्ञाप्ति जारी किये जाने हेतु आवश्यक प्रस्ताव शासन को ०२ दिन के अन्दर उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
- उप्र० शासन के उक्त निर्देश के कम में वर्ष २००८ में जै०पी० एसोसिएट्स के कलेम के आवार पर धारा-४ की विज्ञाप्ति से पृथक किये गये धोत्रों को छोड़कर विज्ञाप्ति संख्या-४९५२ / १४-२-२००८-२०(१७) / २००८ दिनांक-२५.११.२००८ से ग्राम-ओवरा पनारी तथा विज्ञाप्ति संख्या-४९५३ / १४-२-२००८-२०(१७) / २००८ दिनांक-२५.११.२००८ से ग्राम मकरीवारी का भारतीय वन अधिनियम १९२७ के अन्तर्गत धारा २० की विज्ञाप्ति जारी किया गया।
- जै०पी० एसोसिएट्स लि० द्वारा अनाधिकृत रूप से वन भूमि कब्जा करने के सम्बन्ध में कठिनय व्यक्ति ह्वारा सी०इ०सी० में शिकायत दर्ज करायी, जिस पर सी०इ०सी० द्वारा सम्बन्धित पक्षों से रिपोर्ट/आख्या मार्गी गयी। पक्षों द्वारा प्रस्तुत आख्या पर विचार करने के उपरान्त सी०इ०सी० द्वारा अपनी सर्वति मा० उच्चतम नई दिल्ली को प्रेषित किया गया। जिसका सज्जान लेते हुए, उप्र० शासन द्वारा मा० उच्चतम

न्यायालय में रिट संख्या-2469/2009 दाखिल की गयी, जिसे मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०जी०टी० न्यायालय, नई दिल्ली को सुनवाई करने का निर्देश दिया गया। जिसके क्रम में मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा एम०ए० न० 1166/2015 में दिनांक-04.05.2016 को जै०पी०एसोसिएट्स लिंग से सम्बन्धित कुल 1083.203 है० (जिसमें से ओबरा वन प्रभाग का 599.183है० है) क्षेत्र को वन विभाग के पक्ष में निर्णय पारित किया गया।

- मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक-04.05.2016 के अनुपालन में ग्राम-कोटा, ओबरा पनारी के सम्बन्ध में पूर्व में जारी धारा 20 की विज्ञप्ति को निष्पादी मानते हुए कुल 1083.203है० क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए ओबरा वन प्रभाग के ग्राम कोटा में विज्ञप्ति संख्या-1142/14-2-2016-20(4) / 2016 दिनांक-23.06.2016 द्वारा कुल 12440.413है०, ग्राम ओबरा पनारी में विज्ञप्ति संख्या-1141/14-2-2016-20(3) / 2016 दिनांक-10.06.2016 द्वारा कुल 1912.751है०, सोनभद्र वन प्रभाग के ग्राम मकरीबारी में विज्ञप्ति संख्या-1139/14-2-2016-20(1)/2016 दिनांक-10.06.2016 द्वारा कुल 398.5570है० तथा कैमूर वन्य जीव प्रभागी मीरजापुर के ग्राम मरकुण्डी में विज्ञप्ति संख्या-1192/14-2-2016-20 (5) / 2016 दिनांक-10.06.2016 द्वारा कुल 904.768है० क्षेत्र का पुनः भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 की विज्ञप्ति जारी किया गया।
- मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक-30.05.2016 के अनुपाल में म० जै०पी०एसोसिएट्स लिंग, डाला द्वारा जै०पी० सुपर प्लान्ट व आवासीय क्षेत्र स्थापना हेतु 115.874है० वन भूमि हस्तान्तरण का पूर्ण प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था, जिसके क्रम में प्रस्ताव उच्च स्तर पर प्रेषित किया जा चुका है।
- यह भी अवगत कराना है कि MOEF & CC के GO नं० 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 में वर्णित तथ्य—"Activities which constitutes violations of provisions of Forest Conservation Act 1980 and rules made thereof and guidelines issued in this behalf, by user agencies and quantum of penalty to be imposed – regarding common guideline to be followed by FAC/REC while considering the proposal under FC Act 1980".
- उक्त गाइड लाइन में FCA 1980 के उल्लंघन निम्न प्रकार वर्णित किया है— "3. Accordingly, the Ministry has decided to adopt following guidelines while imposing penalty in various cases, on the recommendations of FAC/REC after due deliberation in its meeting, for use of forest land for non-forestry purposes in violation of the provision of the Forest (Conservation) Act 1980, Rules made thereof and guidelines issued from time to time to implement FC Act and Rules:

E. In cases where 'Forest land' has been changed to 'non forest land' in government records: If the violation is not attributable to the user agency, no penalty shall be imposed."

II. What action has been taken against erring officers who have issued orders for use of forest land for non-forestry purpose in

वर्ष 2008 में म० जै०पी० एसोसिएट्स लिंग के क्लेम के अधार पर वन वन्देवस्त अधिकारी/जिला जज द्वारा अपने न्यायालय में नये सिरे से वादों की सुनवाई करते हुए प्रश्नगत क्षेत्र धारा 4 की विज्ञप्ति से पृष्ठक कर दिया गया था, प्रश्नगत क्षेत्र के सम्बन्ध में मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली द्वारा दिनांक-04.05.2016 को वन विभाग के पक्ष में निर्णय पारित किया गया, जिसके अनुपालन में प्रश्नगत क्षेत्र को सुरक्षित वन के पक्ष में अमलदरामद करते हुए, धारा 20 की विज्ञप्ति जारी किया तथा मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली के आदेश

gross violations of Forest (Conservation) Act, 1980.	दिनांक-30.05.2016 के अनुपालन में मो ४०८० एसोसिएट्स लिंग द्वारा वन भूमि का उपयोग करने हेतु प्रमाण रत्त से कोई आदेश / निर्देश निर्गत प्रेषित किया गया है। प्रसन्नत वन भूमि का उपयोग करने हेतु प्रमाण रत्त से कोई आदेश / निर्देश निर्गत नहीं किये गये हैं।
III. Whether all court orders pertaining to the project has been complied with or not?	विषयक प्रकरण के सचिव में मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली के आदेश दिनांक-30.05.2016 के अनुपालन में प्रसन्नत क्षेत्र को सुरक्षित वन के पक्ष में अमलतारामद करते हुए धा० धा० 20 की विज़िस्त जारी किया जा चुका है। मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली के आदेश दिनांक-30.05.2016 के अनुपालन में मो ४०८० एसोसिएट्स लिंग द्वारा प्रसन्नत क्षेत्र का भूमि हरतात्तरण का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।
IV. It has come to the notice that the present project will be transferred to M/s Ultra Tech Cement Ltd. State Government need to clarify why the permission for diversion of forest land is not being taken in the name of M/s Ultra Tech Cement Ltd.	इस बिंदु की सूचना उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पत्राक-740 / ओबरा / 15 शू०५० दिनांक-16.09.2019 द्वारा मो ४०८० जय प्रकाश एसोसिएट्स लिंग, से अनुरोध किया गया, मो ४०८० एसोसिएट्स, लिंग द्वारा अपने पत्र दिनांक- 18.09.2019 द्वारा सूचना उपलब्ध कराया गया है, जिसकी जायाप्रति सलान है।

संचानक-उपरक्तान्तराम!

प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।

८२